न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2018/00363

रामस्वरूप आत्मज धन्नाराम जाति बलाई निवासी ग्राम मांदलिया उप तहसील मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. जयकिशन आत्मज हीरालाल जाति तेली निवासी ग्राम मांदलिया हाल निवास मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट कम 02 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 16.04.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.05.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 49 (1) व (2) एवं 49 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कथन किया कि जिला कलक्टर महोदय के यहॉ एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया था कि खसरा नम्बर 63 रकबा 2.00 हैक्टर पर 15 वर्ष पूर्व से कब्जा चला आ रहा

है । प्रार्थी अनुसूचित जाति का व्यक्ति है और उसके पास कोई और अन्य भूमि नहीं है प्रार्थी भूमिहीन कृषक है । उक्त भूमि सहवन से जयकिशन पुत्र श्री हीरालाल जाति तेली निवासी ग्राम मान्दलिया तहसील लाडपुरा को आवंटित कर दी गई है । उक्त आदेश की अपील दिनांक 18.01.2001 को प्रार्थी के द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में की गई उसके बाद माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में की गई । उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय में अपील पेश की गई जिसमें दोनों निर्णय निरस्त किये गये और प्रार्थी को आदेशित किया कि प्रार्थी पुनः भूमि के नियमन हेतु रेवेन्यू ऑथोरिटी के यहॉ प्रार्थना पत्र पेश कर सकता है क्योंकि प्रार्थी अनुसूचित जाति का व्यक्ति है और भूमिहीन कृषक है । उक्त भूमि पर प्रार्थी का कई वर्षों से कब्जा काश्त है इसलिए वह उक्त भूमि का अपने पक्ष में नियमन करवाने का अधिकारी है ।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को खसरा नम्बर 63 रकबा 2.00 हैक्टर वाके ग्राम मान्दलिया उप तहसील मण्डाना की भूमि का आवंटन किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 14.05.2018 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.05.2018 से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट का वादग्रस्त आराजी पर 40–42 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है । अपीलान्ट की बिना जानकारी एवं सूचना के अपीलान्ट को बिना बेदखल किये ही आवंटन नियमों के विपरीत रेस्पोडेन्ट क्रम 01 को उक्त भूमि का आवंटन कर दिया है जो अवैधानिक है । रेस्पोडेन्ट भूमिहीन काश्तकार नहीं है । रेस्पोडेन्ट के पक्ष में हुए आवंटन के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा सक्षम न्यायालय में कार्यवाही की जिस पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपीलान्ट का कब्जा मानकर सक्षम न्यायालय में कार्यवाही किये जाने की अनुसंशा की जिस पर अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.05.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना प्रार्थना पत्र खारिज किया है जो त्रुटिपूर्ण है । ग्राम मान्दलिया तहसील लाडपुरा की खसरा नम्बर 63 रगा 1.68 हैक्टर आराजी पर अपीलान्ट 40–42 वर्षों से निरन्तर काबिज है । नियमों के विरूद्ध इसका आवंटन रेस्पोडेन्ट को किया गया है । रेस्पोडेन्ट भूमिहीन काश्तकार नहीं है, इनका आवंटित आराजी पर कब्जा नहीं है । रेस्पोडेन्ट को खातेदारी अधिकार त्रुटिपूर्ण रूप से प्रदान किये गये हैं । उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की गई है जिसमें अपीलान्ट का कब्जा मानकर सक्षम न्यायालय में कार्यवाही की अनुशंषा की थी जिस पर अपीलान्ट के द्वारा

अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसको त्रुटिपूर्ण रूप से खारिज किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.05.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि आवंटन के लिए प्रार्थी को आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिए जिस पर विधि सम्मत रूप से निर्णय लिया जा सकता है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.05.2018 बहाल रखा जावे ।

9. अपीलान्ट के द्वारा अपील में एक प्रार्थना पत्र पेश किया । उक्त प्रार्थना पत्र के साथ कुछ दस्तावेजात पेश किये है। और इनको रिकॉर्ड पर लेने की प्रार्थना की है । दस्तावेजात में रामस्वरूप के द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र की फोटो प्रति और जिला कलक्टर को उपखण्ड अधिकारी के द्वारा प्रेषित रिपोर्ट की फोटो प्रति है । अतः उक्त दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट प्रार्थी के द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 49 (1), 49 (2) (क) के तहत एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया है और यह कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी पर उनका कब्जा कदीमी समय से चला आ रहा है । उक्त आराजी उनकी जीविकोपार्जन का साधन है । गलत रूप से आवंटन अप्रार्थी क्रम 01 जयकिशन पुत्र हीरालाल को किया गया है । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रार्थी को नियमन हेतु प्रार्थना पत्र पेश करने के आदेश दिये हैं । प्रार्थना पत्र के साथ माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न है जिसमें अपीलान्ट को आवंटन नियम, 1970 के तहत प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार दिया है ।

11. पत्रावली पर जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति भी संलग्न की गई है जिसके अनुसार हाल खसरा नम्बर 772/263 रकबा 1.68 हैक्टर आराजी जयकिशन के खाते में दर्ज है । अपीलान्ट खसरा नम्बर 63 की रकबा 2.00 हैक्टर आराजी का आवंटन अपने नाम करवाना चाहते हैं । आवंटन हेतु आवंटन नियमों के तहत प्रार्थी अपीलान्ट को आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए और आवंटन अधिकारी आवंटन सलाहकार समिति की अनुशंषा से उस पर विधि सम्मत निर्णय ले सकते हैं । आराजी के आवंटन हेतु धारा 49 (1), 49 (2) (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नहीं है । तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रार्थी अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं । अपीलान्ट माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के निर्णय दिनांक 12.09.2017 की अनुपालना में आवंटन अधिकारी के समक्ष आवंटन नियमों के तहत प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए स्वतंत्र हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.05.2018 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 16.04.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16/4/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा